

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उ० प्र० शासना

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक/8 फरवरी 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्रावधानित धनराशि से, संलग्न सूची में अंकित कार्य विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 05 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रूपये 1499.16 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 749.58 लाख (रूपये सात करोड़ उन्चास लाख अट्ठावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।
- (2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किशत की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00

लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

- (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
 - (6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
 - (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
 - (9) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।
 - (10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 - (11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
 - (12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
 - (13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
 - (14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये नोडल खाते के माध्यम से सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाय।
4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193-नगर

पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

संख्या- 585 0/9-8-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, / मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)

अनुसचिव।

८

संख्या- 585/9-8-2019-09डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	मऊ	न० प०, अदरी	1 वार्ड न०-3 मु० बाग में सुभाष के मकान से मरियम काम्पलैक्स एवं मदरसा चश्मे फैंज होते हुये रेयाज खान के मकान के आगेतक सड़क सुधार कार्य।	45.65		
			2 वार्ड न०-09 मु० फैजनगर में मच्छन खान के मकान से स्व रामबदन एवं गुड्डू खान के मकान होते हुये डा० सफी अहमद के मकान के आगे तक सड़क सुधार कार्य।	45.21		
			3 वार्ड न०-06 मु० त्वंगर खान में कैलाशपुरी चौराहा से हाजी रशीद के मकान होते हुये शहीद रोड तक सड़क सुधार कार्य।	39.25		
			4 वार्ड न०-01 खजुरी में लक्ष्मी चौराहा से काली चौराहा एवं परमी का मकान होते हुये शहीद रोड तक सड़क सुधार कार्य।	39.99		
			4 आजाद रोड को युनुस के मकान से इन्तेखाब आलम का अहाता होते हुये जमाल के मकान के आगे तक सड़क सुधार कार्य।	40.45		
			5 वार्ड न०-03 मु० बाग में इफतेखार के मकान से लक्ष्मी पजापति के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	11.25		
			6 वार्ड न०-10 मु० फैजनगर में कुडुआ पोखरी के उत्तर पार्क का निर्माण कार्य।	16.06		
			8 वार्ड न०-07 मु० हुसैनाबाद में किये गये नये सबमर्सैबुल पम्प से खादिम फर्निचर, मोल्वी फारुख, युनुस आरा मशीन, शमशाबाद खान, ताहिर तथा जफर अहमद टी०वी०एस० एजेन्सी एवं रौजा मस्जिद तक पाईप लाईन का प्राक्कलन कार्य।	9.49		
			9 वार्ड न०-01 मु० खजुरी (आजाद रोड) में बिरबल के मकान से गिरधारी, अस्फाक, मन्जर, जियाउल रहमान एवं अन्सारी मुर्गा के पास वाली गली में पाईप लाईन का विस्तार का कार्य।	1.56		
			10 वार्ड न०-07 मु० हुसैनाबाद में महंग गौड़ के मकान के पास लगे 7.5 एच०पी० सबमर्सैबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.23		

2

		11 वार्ड नं0-01 मु0 लक्ष्मीनगर (पोखरा) पूर्वी में लगे 7.5 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.52		
		12 वार्ड नं0-03 मु0 बाग उत्तरी में याकूब के मकान के पास लगे 7.5 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.26		
		13 वार्ड नं0-08 मु0 बाजार में (शिव मन्दिर) के सामने लगे 7.5 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.23		
		14 वार्ड नं0-01 मु0 लक्ष्मीनगर (पोखरा) पश्चिम में लगे 7.5 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.52		
		15 वार्ड नं0-03 मु0 बाग दक्षिणी में याकूब के मकान के पास लगे 7.5 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.26		
		16 वार्ड नं0-02 मु0 मदनपुरा मजार के पास लगे 7.5 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प से मेन लाईन में जोड़ने का कार्य।	0.30		
		17 पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, अदरी के विभिन्न वार्डों में वाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य।	51.95		
योग			303.18	300.00	150.00

B

(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

4

संख्या- 585 / 9-8-2019-09डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2	मऊ	न० पं०, दोहरीघाट	2 वार्ड नं०-02 मु० अहिरोटी में पुल ठलान से वन विभाग के बाउन्ड्री तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.94		
			3 वार्ड नं०-04 मु० चमरौटी में नाला पुलिया से मेलाराम बाबा पुलिया होते हुये नदी के तट तक नाला निर्माण का कार्य।	46.16		
			4 वार्ड नं०-05 मु० नवापुरा में नया चौक से गुप्ता जी का पेट्रोल पम्प होते हुये असलम के मकान के आगे तक रोड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	70.97		
			5 वार्ड नं०-06 मु० कमला तिवारी पूरा में प्राथमिक विद्यालय से शिव जयसवाल का मकान होते हुये कन्हैया उर्फ मन्नु के ट्यूबवेल तक नाली व पटिया का कार्य।	9.12		
			6 वार्ड नं०-06 मु० कमला तिवारी पूरा में साहनी के मकान से न्यू मधुराज स्वीट्स होते हुये नर्सिंग होम के आगे तक रोड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	69.77		
			7 वार्ड नं०-08 मु० नवा पूरा चौक पर 04 सीटेड शौचालय एवं 01 सीट यूरीनल का निर्माण कार्य।	5.28		
			8 नगर पंचायत में वार्ड नं०-10 मो० मल्लाह टोला में 10 सीटेड शौचालय का निर्माण कार्य।	11.24		
			9 वार्ड नं०-02 मु० नवापुरा अहिरोटी में वन विभाग से पुराने नाला तक नाला निर्माण कार्य।	27.81		
			10 वार्ड नं०-06 मु० कमला तिवारीपुरा में दोहरीघाट जियनपुर मार्ग पर मुक्ति धाम मोड़ से मोती तथा रामदयाल शर्मा के मकान तक पाइप लाइन का प्राक्कलन कार्य।	7.34		
			11 वार्ड नं०-02 मु० नवापुरा (अहिरोटी) में पुलिस चौकी के पास से नटबीर बाबा होते हुये लालू सोनकर तथा काली चौरा मन्दिर से कन्हैया तथा मकुल एवं छविला के मकान तक पाइप लाइन का प्राक्कलन कार्य।	4.94		
			12 वार्ड नं०-11 भाग-11 मु० सदर बाजार में श्री कृष्ण जायसवाल के मकान से सुकुरुल्ला, विनय, अलगू जायसवाल तथा जगदीश गुप्ता के मकान तक पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने का प्राक्कलन कार्य।	1.97		

8


		13 वार्ड नं०-06 मु० कमला तिवारीपुरा में बाबा जी ब्यूटी पार्लर के पास से देवी शरन गौड़ हरिश्चन्द्र जायसवाल एवं दुर्गा मन्दिर तक पाइप लाइन का प्राक्कलन का कार्य।	1.98		
		14 आजमगढ़ रोड (दोहरीघाट) 09 पोल लगा कर एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य।	1.98		
		15 आजमगढ़ रोड (दोहरीघाट--मुक्तिघाट) 09 पोल लगा कर एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य।	10.95		
		16 नटवीर बाबा के स्थान से शिवचन्द्र दास मन्दिर तक पूरे मुहल्ले में एवं एन.एच.-29 ढलान तक 27 पोल लगा कर एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य।	31.66		
योग			308.11	300.00	150.00



(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।


संख्या- 585 / 9-8-2019-09डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
3	भदोही	न० पं०, नई बाजार	1 एबेबस भवन वार्ड नं०-10 से नगर पंचायत बार्डर वार्ड नं०-5 तक सी०सी० रोड, खुली नाली और भूमिगत सीवन लाइन का निर्माण कार्य।	69.58		
			2 बैजनाथ के मकान वार्ड नं०-8 से वरुणा नदी तक सी०सी० रोड, खुली नाली और भूमिगत सीवन लाइन का निर्माण कार्य।	68.61		
			3 वार्ड नं०-05 में मन्दिर के पास से छेदीशंकर के मकान तक वार्ड नं०-10 तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.98		
			4 नई पेयजल आपूर्ति हेतु।	21.23		
			5 वार्ड नं०-5 में 06 सीटर शौचालय के निर्माण का कार्य।	9.84		
			6 वार्ड नं०-2 में रैन बसेरा के निर्माण कार्य।	11.91		
			7 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 02 नग।	26.70		
			8 सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	62.23		
			9 एल०ई०डी० हाई मास्ट लाईट 10 नग।	6.00		
			10 स्ट्रीट लाईट एल०ई०डी० 50 वाट 50 नग।	7.50		
			11 सोलर पैनल 01 किलोवाट 05 नग।	6.00		
योग				300.58	300.00	150.00


(बृजेन्द्र सिंह)
 अनु सचिव।
 ✓

संख्या- 585/9-8-2019-09डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
4.	बागपत	न० पं० अग्रवाल मण्डी	1 झुंडा कालोनी से श्री रतिराम के मकान तक 1000 मी० लम्बाई में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	25.70		
			2 वार्ड नं०-09 में श्री यामीन के मकान से श्री प्रहलाद के मकान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	40.49		
			3 वार्ड नं०-09 श्री प्रहलाद के मकान से पैरामाउण्ट स्कूल तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	70.18		
			4 बागपत मेरठ रोड से कब्रिस्तान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	7.81		
			5 श्रीराम कालोनी में श्री गिरवर के मकान से संजय के मकान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	20.76		
			6 श्रीराम कालोनी में श्री मनोज तेडा के मकान से श्री सुभाष के मकान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	18.82		
			7 श्रीराम कालोनी में समाधि रोड से बिल्डर हाउस तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	8.18		
			8 श्रीराम कालोनी में बिल्डर से मोदी के मकान तक व श्री सुरेन्द्र से रामसिंह व सन्तराम से श्री भंवर सिंह से भारद्वाज के मकान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	20.63		
			9 श्रीराम कालोनी में मेरठ रोड से श्री नवीन के मकान तक सी०सी० इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	18.47		
			10 बागपत मेरठ मैन रोड कासिंग से 1500 मी० लम्बाई तक पोल व लाईट का कार्य लैफ्ट साइड।	37.97		
			11 बागपत मेरठ मैन रोड कासिंग से 1500 मी० लम्बाई तक पोल व लाईट का कार्य राईट साइड।	37.97		
योग				306.98	300.00	150.00


(बृजेन्द्र सिंह)
 अनु सचिव।

संख्या- 585 / 9-8-2019-09डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
5	रायबरेली	न0पं0, परशदेपुर	1 वार्ड नं0-6 से 8 तक मुस्तफा के मकान से बराती पण्डित के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.55		
			2 वार्ड नं0-6 से 8 तक छोटे लाल बराही के मकान से मुस्तफा के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.91		
			3 वार्ड नं0-6 से 8 तक राम नरायण मौर्या के मकान से सोहन मौया के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.92		
			4 वार्ड नं0-6 से 8 तक सम्पति मौर्या के मकान से नकछेद वैश्य के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.93		
			5 मो0 साकेत नगर चौराहा से राधे श्याम पाण्डेय के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.80		
			6 वार्ड नं0-6 से 8 तक अनस के मकान से सीताराम मौर्या के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.77		
			7 वार्ड नं0-2 में मो0 राम सागर के मकान से बहादुर रैदास एवं राम बहादुर पाल के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.24		
			8 वार्ड नं0-2 में राम सागर के मकान से फूलकली के मकान एवं शिवराम के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.90		
			9 वार्ड नं0-2 में राम सागर के मकान से मुकेश चौरसिया एवं अम्बर बहादुर के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.85		
			10 अमेठी से परशदेपुर लिंक रोड से रामनरेश पाल के मकान से कृपालू की दुकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	9.53		
			11 अमेठी से परशदेपुर लिंक रोड से दयाराम के मकान से रामनरेश यादव के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	9.52		
			12 अमेठी से परशदेपुर लिंक रोड से धर्मराज सिंह के मकान से गुलाब सेठ के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.97		

8

		13 वार्ड नं0-1 में मो0 महावीरन के मकान से श्री राम के मकान तक एवं अमेठी लिंक रोड तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	7.86		
		14 वार्ड नं0-1 मो0 महावीरन में कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.87		
		15 वार्ड नं0-1 मो0 महावीरन में कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.30		
		16 वार्ड नं0-1 मो0 महावीरन में कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.27		
		17 अमेठी से परशदेपुर लिंक रोड से धर्मराज के मकान से डा0 रामप्रकाश के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	9.53		
		18 वार्ड नं0-3 मो0 पूरे काजी पश्चिमी से स्माइल अन्सारी के मकान के सामने तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.49		
		19 वार्ड नं0-3 मो0 पूरे काजी पश्चिमी से केदार मिस्त्री के मकान के सामने तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.90		
		20 वार्ड नं0-3 मो0 पूरे काजी पश्चिमी से निसार अहमद के मकान के सामने तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.32		
		21 वार्ड नं0-3 मो0 पूरे काजी पश्चिमी से मो0 अमीन के मकान के सामने तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.34		
		22 वार्ड नं0-3 मो0 पूरे काजी पश्चिमी से सुन्दर लाल के मकान के सामने तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.33		
		23 वार्ड नं0-3 मो0 पूरे काजी पश्चिमी से अमृत लाल के मकान के सामने तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.55		
		24 वार्ड नं0-4 मो0 पूरे काजी पूरवी से सुशील मेडिकल स्टोर एवं बच्चू धोबी के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.91		
		25 वार्ड नं0-4 मो0 पूरे काजी पूरवी से मोहम्मद शब्बीर एवं राजू निर्मल के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.69		
		26 वार्ड नं0-4 मो0 पूरे काजी पूरवी से एन0एच0पी0 स्कूल से मस्जिद तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.04		
		27 वार्ड नं0-4 मो0 पूरे काजी पूरवी से मजिद तक एवं इण्टरलाकिंग फैक्ट्री तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.33		

		28 अमजद के मकान से जिला बाजार तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.50		
		29 यूसुफ शाह के मकान से मुस्ताक कोटेदार के मकान तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.49		
		30 वार्ड नं0-7 में मो0 संसारी से संजय पाण्डेय की दुकान से यूको बैंक तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.63		
		31 वार्ड नं0-7 में मो0 संसारी से राजाराम कौशल एवं फूल सिंह के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.27		
		32 वार्ड नं0-7 में मो0 संसारी से सुभाष चन्द्र वैश्य एवं सिंगौर के मकान तक कवर्ड नाली, रबड़ मोल्टेड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.64		
		33 केनोपी किओस्क फार स्टैचू टोरसो ऐट आन्सर चौक लालगंज, रायबरेली।	7.67		
		34 केनोपी किओस्क फार स्टैचू टोरसो ऐट साकेत नगर लालगंज, रायबरेली।	7.67		
		35 केनोपी किओस्क फार स्टैचू टोरसो ऐट संसारी चौराहा लालगंज, रायबरेली।	7.67		
योग			299.16	299.16	149.58
कुल योग			1518.01	1499.16	749.58

②

(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

✓